पुलिस की उपलब्धियॉ
वर्ष -2024
जिला बलौदाबाजार-भाटापारा

पंजीबद्ध अपराध की जानकारी वर्ष 2022, 2023 एवं 30.12.2024 की स्थिति में थानावार जिला बलौदाबाजार भाटापारा						
क्रमांक	**थाना का नाम**	**वर्ष**				
		2022	**2023**	**30.12.2024**	**30.12.2024 की स्थिति में लंबित अपराध**	**लंबित का प्रतिशत**
1	सिटी कोतवाली	1048	1058	953	73	7.66 %
2	पलारी	754	614	586	36	6.14 %
3	कसडोल	1098	664	607	42	6.91 %
4	राजादेवरी	170	76	70	7	10.00 %
5	गिधपुरी	135	130	165	5	3.03 %
6	भाटापारा शहर	516	551	582	35	6.01 %
7	भटापारा ग्रामीण	752	673	679	89	13.10 %
8	सुहेला	297	263	314	32	10.19 %
9	सिमगा	596	445	525	47	8.95 %
10	गिधौरी-टुण्डरा	243	275	299	30	10.03 %
11	लवन	0	425	575	35	6.08 %
12	हथबंद	0	159	247	38	15.38 %
12	अजाक	1	1	0	1	100.00 %
योग		**5610**	**5334**	**5602**	**470**	**8.38 %**

वर्ष 2022, 2023 एवं 30.12.2024 की स्थिति में अपराधिक आंकड़े जिला बलौदाबाजार भाटापारा										
क्र0	अपराध शीर्ष	वर्ष 2022			वर्ष 2023			वर्ष 2024		
		दर्ज प्रकरण	गिरफ्तार प्रकरण	गिरफ्तार आरोपी	दर्ज प्रकरण	गिरफ्तार प्रकरण	गिरफ्तार आरोपी	दर्ज प्रकरण	गिरफ्तार प्रकरण	गिरफ्तार आरोपी
1	हत्या	28	27	73	18	16	25	31	30	83
2	हत्या के प्रयास	27	27	97	20	17	55	57	49	182
3	आपराधिक मानव वध	1	1	2	1	1	8	1	1	2
4	बलात्कार	152	150	173	151	150	159	135	130	138
5	अपहरण/व्यपहरण	101	8	20	152	10	15	150	4	4
6	मानव तस्करी	0	0	0	0		0	0	0	0
7	डकैती	1	1	6	1	1	4	4	4	21
8	डकैती की तैयारी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	लूट	30	26	62	18	14	36	19	17	48
10	नकबजनी	265	98	208	235	66	162	185	48	95
11	समस्त प्रकार चोरी	392	154	341	322	102	261	226	60	165
12	बलवा	106	103	701	78	75	479	51	43	285
13	अमानत में खयानत	12	10	18	6	4	5	6	3	3
14	धोखाधड़ी	56	31	66	60	27	50	51	28	60
15	जाली नोट	0	0	0	0	0	0	1	1	3
16	आगजनी	18	12	30	9	2	2	15	12	216
17	चोट	1355	1338	2710	1444	1401	2883	1528	1433	2987
18	दहेज मृत्यु	4	4	10	1	4	4	0	0	0
19	शीलभंग	91	89	108	76	75	95	65	60	84
20	यौन उत्पीड़न/छेड़छाड़	12	10	11	7	3	3	8	5	7
21	पति एवं रिस्तेदार द्वारा प्रताड़ना	27	27	99	8	22	22	26	21	65
22	लड़कियो का आयात	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	उपेक्षापूर्ण कार्य से मृत्यु	238	139	146	269	168	178	286	175	186
24	अन्य भादवि	414	358	421	418	365	464	501	371	472
25	लघु अधिनियम	2280	2280	2838	2040	2040	2523	2256	2050	2705
योग		**5610**	**4893**	**8140**	**5334**	**4563**	**7433**	**5602**	**4545**	**7811**

वर्ष 2022, 2023 एवं 30.12.2024 की स्थिति में संपत्ति संबंधी अपराध जिला बलौदाबाजार भाटापारा													
क्र0	अपराध शीर्ष	वर्ष 2022				वर्ष 2023				वर्ष 2024			
		प्रकरण	गिरफ्तार आरोपी	मशरूका (रूपये)	वाजाप्ता (रूपये)	प्रकरण	गिरफ्तार आरोपी	मशरूका (रूपये)	वाजाप्ता (रूपये)	प्रकरण	गिरफ्तार आरोपी	मशरूका (रूपये)	वाजाप्ता (रूपये)
1	**डकैती**	1	6	27.57 लाख	50.50 हजार	1	4	3.00 लाख	3.00 लाख	4	21	1.62 लाख	1.59 लाख
2	**डकैती की तैयारी**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**लूट**	30	62	31.53 लाख	2.44 लाख	18	36	5.87 लाख	4.99 लाख	19	48	25.24 लाख	2.07 लाख
4	**नकबजनी**	265	208	141.67 लाख	21.14 लाख	235	156	127.19 लाख	39.15 लाख	185	95	116.13 लाख	37.68 लाख
5	**समस्त प्रकार चोरी**	392	341	128.55 लाख	40.80 लाख	322	261	102.07 लाख	20.30 लाख	226	165	171.91 लाख	95.29 लाख
योग		**688**	**617**	**304.52 लाख**	**64.89 लाख**	**576**	**457**	**238.14 लाख**	**67.45 लाख**	**434**	**329**	**314.92 लाख**	**136.65 लाख**

वर्ष 2024 में पुलिस को मिली महत्वपूर्ण सफलता जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा अवधि- 01.01.2024 से 31.12.2024 तक

1. हत्या :-

क्र	वर्ष	प्रकरण की संख्या	सरसब्जी संख्या	आरोपियों की संख्या	सफलता का प्रतिशत
01	2024	31	30	83	96.77
02	2023	18	16	25	88.88

01. **<u>हत्या के 02 अनसुलझें प्रकरणों में मुकबधिर सीरियल किलर को गिरफ्तार करने में मिली सफलता</u>** -

<u>पहली हत्या</u> -

थाना लवन के अपराध क्रमांक 340/2020 धारा 302 भादवि के प्रकरण में दिनांक 29.05.2020 को ग्राम भालूकोना की अनुपमा बाई का शव एक बाड़ी के पेड़ से लटका हुआ मिलने पर प्रारंभिक जांच में मृतिका की हत्या कर शव फांसी के रूप में लटका दिया जाना पाये जाने पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।

<u>दुसरी हत्या</u> -

थाना लवन के अपराध क्रमांक 212/2023 धारा 302 भादवि के प्रकरण में दिनांक 13.03.2023 को भालूकोना गांव की निवासी मृतिका गौरी बाई यादव की बेरहमी से हत्या की गई थी। शव पनखती तालाब के पास शिव मंदिर के निकट मिला था, शरीर में गंभीर चोट के निशान पाये गये थे जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

<u>सफलता</u> - दोनो प्रकरण में दिनांक 02.08.2024 को अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कैम्प कसडोल श्री के.के वासनिक के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर " साइन लेग्वेज विशेषज्ञों " की मदद से आरोपी तेजराम उर्फ कोंदा सीरियल किलर जो लंबे समय से पुलिस प्रकरण से दूर था का खुलाशा करते हुए को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

02- **<u>हत्या के प्रकरण में 04 आरोपियो को गिरफ्तार किया गया</u>** :- थाना कसडोल के अपराध क्रमांक 03/24 धारा **302,323,506,201,34 भादवि** के प्रकरण में दिनांक 01.01.2024 को मृतक गेद राम यादव पिता राम नारायण यादव साकिन पुटपुरा थाना कसडोल की हत्या कर साक्ष्य छुपाने की नियत से एक्सीडेंट का रूप देकर गुमराह करने वाले 04 आरोपियान 01.रवि रजक पिता उमेद रजक उम्र 24 वर्ष 02.राजेन्द्र रजक पिता उमेद रजक उम्र 28 वर्ष 03.रोहिज रजक पिता उमेद उम्र 24 वर्ष 04.कमलेश साहू पिता मोहन साहू उम्र 45 वर्ष साकिनान पुटपुरा थाना कसडोल का गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया तथा घटना में प्रयुक्त 01 बोलेरो वाहन तथा 02 मोटर सायकल को बरामद किया गया है।

03.	**घर में आग लगा कर हत्या करने वाले 02 आरोपी को गिरफ्तार किया गया** :- थाना सिटी कोतवाली के अपराध क्रमांक 135/2024 धारा **302,307,436,342,120बी भादवि** के प्रकरण में दिनांक 24-25.02.2024 के दरम्यानी रात्रि में मृतक के घर में आग लगा दिया जिससे गंभीर रूप से जलने से 01. सोनू उर्फ गोलू साहू पिता संतोष साहू उम्र 28 वर्ष 02.कमला बाई पति संतोष साहू उम्र 60 वर्ष साकिनान भैंसापसरा थाना सिटी कोतवाली की मृत्यु हो गई। दौरान विवेचना के आरोपी 01.करन बघेल उर्फ भुखउ 02. दौलत सोनवानी साकिनान भैंसापसरा बलौदाबाजार थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार द्वारा घटना कारित करना पाये जाने पर आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।	
04-	**ट्रेक्टर से रौंदकर हत्या करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया**- थाना कसडोल के अप0 क्र0 116/2024 धारा 302,120बी,201, भादवि के प्रकरण में दिनांक 14.03.2024 को मृतक दयाराम जायसवाल पिता स्व. धनीराम जायसवाल उम्र 60 वर्ष साकिन असनींद थाना कसडोल को आरोपियान 01.रामसागर जायसवाल पिता पुनीराम जायसवाल उम्र 55 वर्ष 02. संजू कुमार जायसवाल पिता सुखसागर जायसवाल उम्र 21 वर्ष 03.सत्यनारायण पिता सुखसागर जायसवाल उम्र 24 वर्ष साकिनान ग्राम असनींद थाना कसडोल के द्वारा षड़यत्र पूर्वक योजना बनाकर ट्रेक्टर को मृतक पर चढ़ा कर कुचलकर हत्या करने व साक्ष्य छुपाना पाये जाने पर आरोपियो के विरूद्ध अपराध धारा पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।	
05-	**अंधे कत्ल को पुलिस द्वारा 24 धण्टे के भीतर किया पर्दाफाश** - थाना भाटापारा शहर के अपराध क्रमांक 232/24 धारा 302, 34 भादवि के मामले में दिनांक 04.05.2024 को मृतक राजू जायसवाल उम्र करीब 45 वर्ष साकिन संतमाता कर्मा वार्ड भाटापारा थाना भाटापारा शहर को मारपीट कर हत्या करने वाले 05 आरोपियान 01. मुकेश भैया पिता दिनेश भैया उम्र 24 वर्ष साकिन संत माता कर्मा वार्ड भाटापारा 02.अश्वनी साहू पिता चिमनलाल साहू उम्र 22 वर्ष साकिन परशुराम वार्ड भाटापारा 03.दीपक धीवर पिता लथेलू धीवर उम्र 21 वर्ष साकिन परशुराम वाड भाटापारा 04.कामेश यादव उर्फ एप्पी पिता जीवन यादव उम्र 25 वर्ष साकिन संतमाता कर्मा वार्ड भाटापारा 05. राजू ध्रुव पिता अनूप उम्र 22 वर्ष साकिन संतमाता कर्मा वार्ड भाटापारा थाना भाटापरा शहर को 24 घण्टे के भीतर गिरफ्तार न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।	

06	**हत्या के प्रकरण में 06 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया** - थाना सिमगा के अपराध क्रमांक 184/24 धारा 147,149,452,294,506,323,307,302,427 भादवि के मामले में दिनांक 03.06.2024 को ग्राम चंदेरी थाना सिमगा में घर में घुसकर मारपीट कर हत्या की घटना कारित करने वाले 06 आरोपियान 01. दिलीप कुर्रे 02 मुकेश कुमार बांधे 03. दिनेश बांधे 04. लक्ष्मी बांधे 05. तिलक बांधे 06. अंकुर सोनी साकिनान मुंगेली थाना जिला मुंगेली को गिरफ्तार न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है तथा आरोपियों से घटना में प्रयुक्त दो कार, एक आटो को जप्त किया गया है।	
07-	**07 वर्ष पुराने अंधे हत्या कांड में मिली सफलता** :- थाना कसडोल के अप0 क्र0 254/2017 धारा 302,201 भादवि के प्रकरण में 07 वर्ष पूर्व आरोपी ट्रक खल्लासी का काम करता था जो ड्राईवर द्वारा बार बार गाली गलौज करने एवं पैसा मांगने पर नही देने की बात को लेकर आवेश में आकर जैकराड से ड्राईवर राकेश सिंह की हत्या कर ग्राम दर्रा कसडोल में पास सड़क किनारे पथर्री तालाब के पास मिट्टी में लाश का छुपाकर फरार होने वाले आरोपी मोतीलाल उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम बुड़गहन थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार को दिनांक 18.07.2024 को सायबर टीम के माध्यम से तकनीकी विश्लेष्ण एवं साक्ष्य के आधार पर पकड़ा कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।	
08-	**दोहरे हत्याकांड में मिली सफलता** :- दिनांक 29.07.2024 को थाना कसडोल में सूचना मिली की ग्राम भदरा में घर अंदर महिला एवं उनकी बेटी को हत्या कर दी गई की सूचना पर तत्काल घटना स्थल पहुंचकर घटना स्थल निरीक्षण कर थाना कसडोल में अप0 क्र0 300/2024 धारा 103(1), 238 बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान प्रकरण में दिनांक 29.07.2024 को ग्राम भदरा में मृतिका संतोषी पति स्व. दिलीप साहू उम्र 40 वर्ष एवं उसकी बेटी ममता साहू उम्र 18 वर्ष की थारदार टंगिया से हत्या कर उनके उपर मिट्टी तेल डालकर जलाने का प्रयास करने वाले फरार आरोपी दिलहरण उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम भदरा थाना कसडोल को पता तलाश कर तकनीकी विश्लेषण एवं गठित टीम के अथक प्रयास से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।	

09.	**<u>हत्या के प्रकरण में 10 आरोपी को गिरफ्तार किया गया</u>** :- दिनांक 09.08.2024 को थाना कसडोल में सूचना मिली की ग्राम कटवाझर में अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा गांव के जयप्रकाश ठाकुर की हत्या कर देने की सूचना पर तत्काल घटना स्थल पहुंचकर घटना स्थल निरीक्षण कर थाना कसडोल में अप0 क्र0 318/2024 धारा 191(2),191(3),103(1) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान प्रकरण में दिनांक 09.08.2024 के 20.00 बजे रात्रि में प्रार्थी साहिल ठाकुर के बड़े पिताजी शिवनाथ ठाकुर ने पूर्व रंजीश की बात को लेकर इसके पिताजी जयनारायण ठाकुर को गाली गलौज कर रहा था जिसे मना करने पर आरोपियान 01. शिवनाथ ठाकुर 02. उतरा ठाकुर 03. मिला राम गोड़ 04. धनीराम गोड़ 04.रामलाल गोड़ 06. रविशंकर गोड़ 07.रामनारायण गोड़ 08.ऋषि गोड़ एवं 02 आबचारी बालक साकिनान वन ग्राम कटवाझर थाना कसडोल जिला बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा एक राय होकर प्रार्थी के पिताजी जयनारायण ठाकुर को जान से मारने की नियत से लाठी डण्डे से मारपीट कर हत्या करने की रिपोर्ट पर आरोपियो के विरूद्ध अपराध धारा पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।	
10	**<u>एक ही परिवार के 04 सदस्यो की नृशंस हत्या करने वाले 05 आरोपियो को गिरफ्तार किया गया</u>**:- थाना कसडोल के अपराध क्रमांक 385/24 धारा **103(1),191(2),191(3),190,296,351(3),115(2), 331(8) बीएनएस**। के प्रकरण में दिनांक 12. 09.2024 को जादू टोना करने के शंका पर ग्राम छेरछेद के 01.जमुना केवट पिता प्यारे लाल उम्र 26 वर्ष 02.चैतराम केवट पिता स्व. रामलाल केवट उम्र 34 वर्ष 03.यश केवट पिता प्यारेलाल केवट उम्र 11 माह 04.यशोदा केवट पति मेलाराम केवट उम्र 30 वर्ष साकिनान ग्राम छरछेद थाना कसडोल की पत्थर तोड़ने के लोहे के हथौड़ा से घातक वार हत्या करने वाले 05 आरोपियान 01.रामनाथ पाटले पिता सुखीराम पाटले 02.दीपक पाटले पिता रामनाथ पाटले 03.ललीता पाटले पति रामनाथ पाटले 04.दिल कुमार पिता रामनाथ पाटले 05.संजीना पटेल पिता रामनाथ पाटले साकिनान ग्राम छरछेद थाना कसडोल को पुलिस द्वारा 01 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।	

11. **किन्नर हत्याकांड में पुलिस द्वारा 48 घण्टे के भीतर पर्दाफाश**– दिनांक 18.11.2024 को सूचना मिली कि थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम ढाबाडीह के पास एक बंद पड़े खदान के पानी में एक महिला की लाश तैरती हुई मिली है, की सूचना पर थाना सिटी कोतवाली का पुलिस बल वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तत्काल घटनास्थल पहुंचा एवं शव को पानी से निकालकर उसकी जांच पंचनामा करवाई किया गया। इस दौरान शव की विधिवत जांच पर से शव से ₹500–500 की तीन गड्डी में कुल डेढ़ लाख रुपये मिला, जिसे विधिवत जप्त किया गया है। इस दौरान शव का एवं संपूर्ण घटनास्थल का वैज्ञानिक अधिकारी के माध्यम से विधिवत जांच तस्दीक करवाया गया, जिसमें शव को किसी धारदार हथियार से गले, आदि में घातक वारकर मृतक की हत्या करना पाया गया। प्रकरण में थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 865ध24 धारा 103,238 बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। शव का पोस्टमार्टम, जांच कार्यवाही में शव किसी किन्नर का होना पाया गया। प्रकरण में मृतिका किन्नर काजल पिता दिलीप महानंद उम्र 31 वर्ष साकिन संतोषी नगर रायपुर का होना पाया गया।

हत्या की योजना बनाना– मठ प्रमुख बनने की चाहत में आरोपी तपस्या द्वारा निशा के सांथ मिलकर, काजल को रास्ते से हटाने की योजना बनाई गई। माह सितंबर 2024 में गणेश उत्सव के दौरान काजल की हत्या करने की नीयत से तपस्या किन्नर द्वारा पैसा इकट्ठा कर कुल ₹12 लाख रूपये निशा श्रीवास को दिया गया। योजना में निशा श्रीवास द्वारा अपने ड्राइवर हिमांशु बंजारे से हत्या करने के लिए एक सुपारी किलर को 06 लाख रुपए नगद दिया गया, किंतु बाद में पता चला कि वह सुपारी किलर किसी अन्य मामले में जेल चला गया है। इसी बीच काजल की हत्या करने के लिए दो अन्य सुपारी किलर अंकुश एवं कुलदीप से सौदा किया गया। इसी बीच घटना दिनांक के 02 दिन पूर्व आरोपिया निशा श्रीवास अपने ड्राइवर हिमांशु बंजारे के साथ घटनास्थल ग्राम ढाबाडीह के पास पत्थर खदान को देखने भी आई।

पुलिस टीम की कार्यवाही– पुलिस टीम द्वारा सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ किया गया, जिसमें आरोपियों द्वारा पूर्व में चले आ रहे, वाद-विवाद एवं लड़ाई झगड़ा के कारण मृतिका की सुपारी किलर के माध्यम से हत्या करवाना स्वीकार किया गया। कि प्रकरण में पुलिस द्वारा ₹10,50,000 नगदी, एक आर्टिका कार, एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल एवं धारदार चाकू बरामद किया गया है। प्रकरण में सभी 05 आरोपियों को आज दिनांक 19.11.2024 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है। प्रकरण विवेचना में है।

आरोपियों के नाम

1. तपस्या किन्नर उर्फ मोहम्मद इमरान भोईर उम्र 36 साल निवासी किन्नर भवन जोरा थाना खम्हारडीह रायपुर जिला रायपुर
2. निशा श्रीवास किन्नर उम्र 51 साल निवासी धरमपुरा सरकारी स्कूल, तालाब, अमर पैलेस के पास रायपुर जिला रायपुर
3. हिमांशु बंजारे उम्र 28 साल निवासी मंदिरहसौद कुरुद जिला रायपुर
4. कुलदीप कुमार कुरील उम्र 29 साल निवासी राजा तालाब शिव मंदिर गली थाना सिविल लाइन रायपुर जिला रायपुर
5. अंकुश चौधरी उम्र 28 वर्ष निवासी शिव चौक रजातालाब रायपुर थाना सिविल लाइन रायपुर जिला रायपुर

2. डकैती :-

क्र	वर्ष	प्रकरण की संख्या	सरसब्जी संख्या	आरोपियों की संख्या	संपत्ति		सफलता का प्रतिशत
					मशरूका	वजाप्ता	
01	2024	04	04	21	162900	159400	100.00
02	2023	01	01	04	300000	300000	100.00

3. लूट :-

क्र	वर्ष	प्रकरण की संख्या	सरसब्जी संख्या	आरोपियों की संख्या	संपत्ति		सफलता का प्रतिशत
					मशरूका	वजाप्ता	
01	2024	19	17	48	2524670	207450	89.47
02	2023	18	14	36	587280	499630	77.77

01	**<u>लूट के प्रकरण में 05 आरोपी को गिर0 किया गया है</u>** थाना भाटापारा शहर के अप0 क्र0 194/2024 धारा 394 भादवि के प्रकरण में दिनांक 10.04.2024 को अज्ञात तीन आरोपी द्वारा संतमाता कर्मा वार्ड गजानंद काजेल के पास खली मैदान भाटपारा में अज्ञात तीन व्यक्तियों द्वारा प्रार्थी को हाथ मुक्का लात घुसा से मारपीट कर एक नग मोबाईल रेडमी कंपनी का, एक नग मोबाईल रेडमी नोट 09 कीमती 5,000 रूपये, एक आईफोन 13 मोबाईल कीमती 52000 रू.एवं मोटर सायकल सीबी साईन क्र. सीजी 22 डब्ल्यू 1601 कीमती 70,000 रूपये एवं नगदी रकम 12,400 रूपये को लूटकर भाग जाने वाले आरोपियो जयप्रकाश उर्फ दादू ध्रुव पिता रामलाल उम्र 23 वर्ष निवासी भोथीडीह थाना सुहेला 02. निखिल नामदेव पिता मोहन नामदेव उम्र 19 वर्ष सा. बलभद्र वार्ड भाटापारा 03. लक्ष्मण बंजारे पिता विश्वनाथ बंजारे उम्र 18 वर्ष 06 माह साकिन संतकर्मा वार्ड भाटापारा एवं 02 अपचारी बालक को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। तथा लूट की मशरूका बरामद किया गया है।	

4. चोरी/नकबजनी :-

क्र	वर्ष	प्रकरण की संख्या	सरसब्जी संख्या	आरोपियों की संख्या	संपत्ति		सफलता का प्रतिशत
					मशरूका	वजाप्ता	
01	2024	411	108	260	286.94 लाख	132.98 लाख	46.34 %
02	2023	557	168	423	229.26 लाख	59.46 लाख	25.93 %

01. **<u>ज्वेलरी शाप में उठाईगिरी करने वाले शातिर बदमाशो को गिरफ्तार किया गया</u>** :- थाना पलारी के अपराध क्रमांक 11/2024 धारा 379,34 भादवि के प्रकरण में दिनांक 01.01.2021 के 16.20 बजे से 16.50 बजे के ग्राम रोहांसी लक्ष्मीनारायण ज्वैलर्स में दुकान में काम करने वाली गंगा साहू से सामान खरीदने के बहाने से सोने के 20,25 जोडी कान का टाप्स वजनी 55 ग्राम, सोने का लाकेट 05 नग वजनी 5 ग्राम कुल 60 ग्राम कीमती 3,00,000 रूपये को चोरी कर ले जाने वाले आरोपी शेर खान पिता फिरोज अली उम्र 48 वर्ष 02. अबूतराब हुसैन पिता जाकिर हुसैन उम्र 32 वर्ष साकिनान शिया मस्जिद के बगल धोबीपारा खरियार रोड़ थाना खरियार रोड़(जोंक) जिला नुवापुडा उडी़सा को दिगर राज्य उड़िसा से गिरफ्तार किया गया। चोरी की मशरूका शत-प्रतिशत बरामद किया गया तथा घटना में प्रयुक्त 01 रायल एनफिल्ड हंटर 350 मोटर सायकल को जप्त किया गया।

02- **<u>चोरी के प्रकरण में 09 आरोपियो को पकडा गया</u>** :- थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार के अपराध क्रमांक 1052/2023 धारा 457,380 भादवि के प्रकरण में दिनांक 27.12.2023 के रात्रि 11.00 बजे से 30.12.2023 के 17.00 बजे दरम्यानी में प्रार्थी के घर समृद्धि कालोनी बलौदाबाजार से सोने का सेट एक गला का हार, सोने का मांग टीका, सोने का नथ, सोने का अंगूठी कीमती 2,55,000 रूपये एवं नगदी रकम 1,95,000 रूपये जुमला कीमती 4,50,000 रूपये को चोरी करने वाले आरोपी 01. तीर्थराज वर्मा पिता रामेश्वर वर्मा उम्र 23 साल निवासी ग्राम कोलिहा थाना लवन 02. रेवल वर्मा पिता बुधराम वर्मा उम्र 22 साल निवासी ग्राम कोलिहा थाना लवन 03. सूरज वर्मा पिता सोनू राम उम्र 21 साल निवासी ग्राम कोलिहा थाना लवन 04. रुपेश वर्मा पिता मालिक राम उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम कोहरौद थाना लवन 05. भूपेंद्र कुमार पिता भगत राम उम्र 25 साल निवासी ग्राम कोलिहा थाना लवन 06. हिमांशु पिता केदारनाथ वर्मा उम्र 23 साल निवासी ग्राम मुंडा थाना लवन 07. रोहित प्रसाद पिता उत्तरा उम्र 29 साल निवासी ग्राम पेंड्री थाना भाटापारा ग्रामीण 08. सुनील पिता शिवदास चतुर्वेदी उम्र 28 साल निवासी ग्राम पेंड्री थाना भाटापारा ग्रामीण 09. राजा पिता संतोष कुर्रे उम्र 23 साल निवासी ग्राम पेंड्री थाना भाटापारा ग्रामीण को गिरफ्तार कर आरोपियो 15,000 रू नगदी, 01 लैपटाप, चांदी के जवरात सहित कुल 75,000 रू का मशरूका बरामद किया गया तथा आरोपियो से घटना में प्रयुक्त 02 मोटर सायकल तथा 06 नग मोबाईल जप्त किया गया है।

03.	**<u>ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले गिरोह के शातिर 07 आरोपियों को पकड़ा गया</u>** :- चौकी करहीबाजार के अपराध क्रमांक 651/23 धारा 379 भादवि, थाना भाटापारा ग्रामीण के अप.क्र. 04/24 धारा 379,427 भादवि, 12/2024 धारा 379 भादवि, चौकी गिरौधपुरी के अप क्र. 16/2024 धारा 379 भादवि, गिधौरी के अपराध क्रं. 17/24 धारा 379 भादवि के प्रकरण में सिलसिलेवार ट्रांसफार्मर चोरी के मामलों में 07 आरोपियान 01.लालाराम केंवट उर्फ भगत केंवट पिता देवसिंह केंवट उम्र 26 साल निवासी रिसदा वार्ड नंबर 20 मस्तुरी जिला बिलासपुर 02. अमरबाबूवानी उर्फ कुंदन वानी पिता सुरजवानी उम्र 24 साल निवासी रिसदा थाना मस्तुरी जिला बिलासपुर 03.जितेन्द्र वागले पिता सरोज वागले उम्र 31 साल निवासी ग्राम मोहभट्ठा थाना मस्तूरी जिला बिलासपुर 04.सुमन जांगडे पिता दशरथ जांगडे उम्र 23 साल निवासी रिसदा थाना मस्तूरी जिला बिलासपुर 05.वीरेन्द्र सिंह राय पिता जगदीश प्रसाद उम्र 21 साल निवासी रिसदा थाना मस्तूरी जिला बिलासपुर 06. टारजनवानी उर्फ टीपू वानी पिता सुरजवानी उम्र 18 साल 06 माह रिसदा थाना मस्तूरी जिला बिलासपुर 07.राजआर्यनवानी उर्फ खेखडा पिता बब्बन वानी उम्र 18 साल 08 माह रिसदा थाना मस्तूरी जिला बिलासपुर को गिरफ्तार कर आरोपियो से नगदी सहित 1,35,300 रूपये मुल्य के चोरी की मशरूका को बरामद किया गया है तथा चोरी में इस्तेमाल कटर, ब्लेडर मशीन,रिंग पाना, पेंचिस तथा एक कार एवं पिकअप को जप्त किया गया है। तथा गिरफ्तार आरोपियो को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।	
04-	**<u>मोटर सायकल चोर गिरौह का किया गया पर्दाफास</u>**- थाना भाटापारा ग्रामीण के अप0 क्र0 210/2024 धारा 379,420,467,468,471,470,34,120बी भादवि के प्रकरण में गिरोह द्वारा चोरी के मोटर सायकल के नये फर्जी आरसी कार्ड बनाकर ग्राहको को बिक्री करने वाले 06 आरोपियान 01. अमन पिता अब्दुल खान उम्र 26 वर्ष साकिन भगत सिंह वार्ड भाटापारा 02.सब्दर अली पिता सलीम उम्र 32 वर्ष साकिन भगत सिंह वार्ड भाटापारा 03. भानु पिता नेमी टण्डन उम्र 19 वर्ष साकिन महासती वार्ड भाटापारा 04.कमलेश ध्रुव पिता संतोष ध्रुव उम्र 26 वर्ष 05 अब्दुल कादिर पिता अब्दुल गफ्फार उम्र 30 वर्ष साकिनान भगत सिंह वार्ड भाटापारा थाना भाटापारा शहर एवं 06. अपचारी बालक को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। तथा आरोपियो से कुल 55 नग मोटर सायकल को बरामद किया गया है।	
05-	**<u>मोटर सायकल चोरी करने वाले गिरोह का किया गया पर्दाफाश</u>** - थाना लवन क्षेत्र में हुए मोटर सायकल चोरी के प्रकरण में थाना लवन में अप.क्र. 333/24, 334/14 धारा 303(2) बीएनएस दर्ज प्रकरणों की पतासाजी के दौरान थाना लवन ,कसडोल, गिधौरी, शिवरीनाराण क्षेत्र में चोरी करने वाले चोर गिरौह के 4 आरोपी 01. सुनील उम्र 19 वर्ष निवासी इंदिरा कालोनी कसडोल 02. दुर्गेश उम्र 21 वर्ष निवासी बांधा तालाब कसडोल 03. सनी उम्र 22 वर्ष निवासी इंदिरा कालोनी कसडोल04. करन दास उम्र 21 वर्ष साकिन नया गोरधा थाना कसडोल को गिरफ्तार कर आरोपिया से कुल 09 मोटर सायकल को बरामद किया गया तथा दिनांक 04.08.2024 गिरफ्तार आरोपियो को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।	

06.	**<u>सुने मकान में चोरी करने वाले 04 महिला आरोपियो को गिरफ्तार करने में मिली सफलता</u>** :- प्रार्थी राजा वर्मा निवासी ग्राम कोसमंदा द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि आज दिनांक 14.11.2024 को सुबह मैं किसी काम से ग्राम परसवानी चला गया था तथा मेरी मां सुबह 08रू00 बजे ही घर में ताला लगाकर खेत में काम करने चली गई थी, कि मैं दोपहर 01रू30 बजे घर वापस आया तो देखा कि घर के सामने का दरवाजा खुला था एवं अंदर जाकर देखा तो घर के अंदर रखे अलमारी को तोड़कर अलमारी में रखें नगदी ₹38,000, चांदी की अंगूठी एक नग, चांदी का चौन सहित ₹45,000 का सामान को कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया है। कि रिपोर्ट पर थाना भाटापारा ग्रामीण में अपराध क्र. 595ध्2024 धारा 303(2),3(5) बीएनएस का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में थाना भाटापारा ग्रामीण पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए संदेही कोको बाई सहित 04 महिला संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में लिया गया, जिनसे पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा बताया गया कि वह सभी भीख मांगने का काम करती है तथा घटना दिनांक को ग्राम कोसमंदा भीख मांगने आई हुई थी, जिसमें प्रार्थी के मकान में कोई नहीं होने से तथा आसपास सूना पाकर उसके मकान एवं अलमारी का ताला तोड़कर घर में रखे सामान को चोरी करना स्वीकार किया गया। कि प्रकरण में आरोपियों से चोरी का नगदी ₹6800 बरामद किया गया है। प्रकरण में चारों आरोपियों को आज दिनांक 15.11.2024 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है। आरोपियों के नाम 1. कोको भाई गरोड़ी उम्र 50 साल निवासी वार्ड नंबर 06 बोदरी बिलासपुर जिला बिलासपुर 2. सीमा गरोडी उम्र 40 साल निवासी वार्ड नंबर 05 अचानकपुर नगर पंचायत बोदरी चकरभाठा बिलासपुर जिला बिलासपुर 3. अनिता गरोडी उम्र 40 साल निवासी वार्ड नंबर 05 अचानकपुर नगर पंचायत बोदरी चकरभाठा बिलासपुर जिला बिलासपुर 4. सीमिन धामडे उम्र 46 साल निवासी वार्ड नंबर 05 अचानकपुर नगर पंचायत बोदरी चकरभाठा बिलासपुर	

5. धोखाधड़ी :-

क्र.	वर्ष	प्रकरण की संख्या	सरसब्जी संख्या	आरोपियों की संख्या	सफलता का प्रतिशत
01	2024	51	28	60	57.14 %
02	2023	60	27	50	45.00 %

01.	**<u>सायबर फ्रॉड की घटना कारित करने वाले 02 आरोपी को गिर0 किया गया</u>** - थाना लवन के अप0 क्र0 279/2023 धारा 420 भादवि, 66घ आई.टी.एक्ट के प्रकरण में दिनांक 27.09.2023 को प्रार्थी के मोबाईल में फोन पे पर बोनस आया है, लिंक भेजने तथा प्रार्थी द्वारा क्लिक करने पर प्रार्थी के खाता से 1,60,292 रूपये को धोखाधडी कर आहरण करने वाले आरोपियान 01.विकास माझी उर्फ भोकू पिता संजय मांझी उम्र 22 वर्ष साकिन महावीर कोलवारी डागलपाडा थाना रानीगंज पश्चिम बंगाल 02. मोहम्मद शाकिब पिता मोहम्मद हनीफ अंसारी उम्र 25 वर्ष साकिन वार्ड क्र. 88 डॉ0 एम.एन घोष रोड हुसैन नगर रानीगंज पश्चिम बंगाल को दिनांक 10.03.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। तथा आरोपियों से घटना में प्रयुक्त मोबाईल जप्त किया गया।	
02-	**<u>अंतराज्यीय ठग का पर्दाफास</u>** - थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार के अप0 क्र0 943/2024 धारा 318(4),338, 336(3), 340(2)बी, बीएनएस एवं 66 डी आई.टी.एक्ट के प्रकरण में आरोपी संजय अग्रवाल पिता राम किशोर उम्र 27 वर्ष निवासी गौ सिटी थाना बिसरक जिला गौतमतबृद्ध नगर नोयडा (उत्तर प्रदेश) प्रार्थी को इंकमटेक्स विभाग में आफिसर के पद पर नौकरी लगाने का झांसा देकर 2,00,000 रूपये लेकर ठगी करने वाले अंतराज्यीय ठग को दिनांक 30.12.2024 को गिर,ार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।	

06 महिला विरूद्ध अपराध :-दुष्कर्म

क्र.	वर्ष	प्रकरण की संख्या	सरसब्जी संख्या	आरोपियों की संख्या	सफलता का प्रतिशत
01	2024	135	130	138	94.44 %
02	2023	151	150	159	99.33 %

07. शीलभंग :-

क्र.	वर्ष	प्रकरण की संख्या	सरसब्जी संख्या	आरोपियों की संख्या	सफलता का प्रतिशत
01	2024	65	60	84	92.06 %
02	2023	76	75	95	98.68 %

08. यौन उत्पीड़न/छेड़छाड़:-

क्र.	वर्ष	प्रकरण की संख्या	सरसब्जी संख्या	आरोपियों की संख्या	सफलता का प्रतिशत
01	2024	8	5	7	62.5 %
02	2023	7	3	3	42.85 %

09. एन.डी.पी.एस.एक्ट :-

क्र.	वर्ष	प्रकरण की संख्या	सरसब्जी की संख्या	आरोपियों की संख्या	जप्ती की मात्रा	कीमती (रू.में)	सफलता का प्रतिशत
01	2024	25	25	48	1100.410 किग्रा.गांजा,101 नग टेबलेट,40 नग इंजेक्शन, 1.85 ग्राम ब्राउन शुगर	35079229	100 %
02	2023	13	13	22	36.764 किग्रा.गांजा, 2441 नग टेबलेट	383466	100 %

01.	**<u>भारी मात्रा में गांजा तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 02 आरोपी को गिर0 किया गया है</u>** थाना भाटापारा ग्रामीण के अप0 क्र0 211/2024 धारा 20 बी नारकोटिक्स एक्ट के प्रकरण में दिनांक 06.04.2024 को आरोपियो द्वारा **<u>एंबुलेंस वाहन क्र. सीजी 04 एचडी 7836 में प्लास्टिक बोरी में 752 किलो ग्राम मादक पदार्थ गांजा कीमती 02 करोड़ 25 लाख 60 हजार रूपये</u>** को ओड़िसा से मध्यप्रदेश परिवहन करते आरोपियान 01.वकील कुमार गौतम पिता राजेन्द्र प्रसाद गौतम उम्र 21 वर्ष साकिन धनावल थाना लालगंज जिला मिरजापुर उत्तर प्रदेश। 02. सागर चौहान पिता जय प्रकाश चौहान उम्र 24 वर्ष साकिन चंद्रनगर कोहका वार्ड नंबर 11 थाना कुम्हारी जि दुर्ग को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।	

02.	**<u>अवैध रूप से 95 किलो गांजा परिवहन करने वाले वाहन सहित 02 आरोपी को पकड़ा गया</u>** :- थाना गिधौरी-टुण्डरा के अपराध क्रमांक 07/2024 धारा 20(बी) नारकोटिक्स एक्ट के प्रकरण में दिनांक 10.01.2024 को मुखबीर सूचना मिली की एक सफेद रंग के मारूती डिजायर कार में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा परिवहन करने की सूचना पर घेराबंदी कर कार को रोककर तलाशी लेने पर डिक्की के अंदर 91 पैकेट में कुल 95.36 किलो ग्राम कीमती 9,10,000 रूपये मिलने पर मिलने पर समक्ष गवाहान के मय मारूती डिजायर कार क्रमांक एमपी 04 जेड के 1348 कीमती 5,00,000 रूपये जुमला कीमती 14,10,000 रूपये को जप्त कर अपराध धारा पंजीबद्ध कर आरोपी 01. भुपेन्द्र सिंह राजपूत पिता दिलीप सिंह राजपूत उम्र 35 वर्ष साकिन पिपरिया ईतवार बाजार थाना पिपरिया जिला नर्मदापुर(होशंगाबाद) 02.पोषण सिंह पिता परमोधी सिंह उम्र 35 वर्ष साकिन पपरौड़ी (जैतहरी) थाना जैतहरी जिला अनुपपुर म.प्र. को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।	
03-	**<u>अवैध रूप से 89 किलो गांजा एवं परिवहन वाहन को पकड़ा गया</u>** :- थाना गिधौरी-टुण्डरा के अपराध क्रमांक 06/2024 धारा 20(बी) नारकोटिक्स एक्ट के प्रकरण में सूचना मिली की सारंगढ-बिलाईढ़ मार्ग से कार में अवैध रूप से गांजा परिवहन कर रहे है कि सूचना पर दिनांक 09.01.2024 को गिधौरी-खपराडीह के मध्य पहंदा रोड के पास नाकाबंदी किया गया पुलिस को देखकर कार का चालक एवं अन्य 01 साथी द्वारा कार छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर खेत की ओर भाग गया। एक सफेद रंग की मारूति स्विफ्ट कार क्र. सीजी 15 बी 8568 की तलाशी लेने पर डिग्गी में 89 किलो गांजा कीमती 8,90,000 रूपये मिलने पर मय कार मारूति स्विफ्ट कार कीमती 5,00,000 रूपये को जप्त किया गया है। तथा प्रकरण के फरार आरोपी की तलाश की जा रही है।	
04-	**<u>अवैध रूप से 10 किलो गांजा परिवहन करने वाले वाहन सहित 03 आरोपी को पकड़ा गया</u>** :- थाना गिधौरी-टुण्डरा के अपराध क्रमांक 08/2024 धारा 20(बी) नारकोटिक्स एक्ट के प्रकरण में दिनांक 10.01.2024 को मुखबीर सूचना मिली की एक काले रंग के नेक्सान कार में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा परिवहन करने की सूचना पर घेराबंदी कर कार को रोककर तलाशी लेने पर डिक्की के अंदर 10 पैकेट में कुल 10.200 किलो ग्राम कीमती 1,00,000 रूपये मिलने पर मिलने पर समक्ष गवाहान के एक काले रंग का नेक्सान कार क्रमांक सीजी 17 केएस 4594 कीमती 8,00,000 रूपये जुमला कीमती 9,00,000 रूपये को जप्त कर आरोपियान 01.राघवेन्द्र बसोड़ पिता फुलबर बसोड़ उम्र 32 वर्ष साकिन पोड़ा तिगड्डा थाना गाड़ापारा जिला नरसिंगपुर म.प्र. 02.दाशरथी मिहिर पिता गंगाराम मिहिर उम्र 40 वर्ष साकिन जमला थाना पदमपुर जिला बरगढ़ उडीसा 03. सरोज साहू उर्फ लाला साहू पिता चन्द्रबली साहू उम्र 25 वर्ष साकिन पथरौड़ थाना कोकमा जिला अनुपपुर म.प्र.को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।	

05.	**<u>अवैध रूप से मादक पदार्थ नशीली टेबलेट एवं इंजेक्शन बिक्री करने वाले 07 आरोपी को गिरफ्तार किया गया</u>** :- थाना सिमगा के अपराध क्रमांक 80/2024 धारा 21(बी) नारकोटिक्स एक्ट के प्रकरण में 01. हर्ष महेश्वरी उर्फ झल्लू पिता कृष्णा 02. हर्ष वर्मा पिता गणेश्वर प्रसाद उर्फ गंगेश्वर 03. प्रवीन यादव पिता अलखराम यादव 04. निखिल तिवारी उर्फ वासु पिता रोहित तिवारी 05. एजाज खान पिता अहमद खान 06. योगेश तिवारी उर्फ गोलू पिता रोहित तिवारी 07. तुलसी सतनामी साकिनान सिमगा थाना सिमगा द्वारा अवैध रूप से प्रतिबंधित मादक पदार्थ नशीली Nitosun 10 टेबलेट व इंजेक्शन Iuprine TM 50 नग कीमती 1467 रूपये को रखकर बिक्री करते रंगे हाथ पकड़कर इनके विरूद्ध अपराध धारा पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाकर जप्त कर गिरफ्तार कर आरोपियो को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। तथा आरोपियों से 01 नग एक्टीवा , 01 नग मोटर सायकल को जप्त किया गया है।	
06-	**<u>अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा परिवहन करते 02 आरोपी को गिरफ्तार किया गया</u>** :- थाना भाटापारा ग्रामीण के अपराध क्रमांक 125/2024 धारा 20(बी) नारकोटिक्स एक्ट के प्रकरण में 01.राज चौधरी पिता स्व. रामकृष्ण चौधरी उम्र 28 वर्ष साकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड भाटापारा थाना भाटापारा शहर 02.हरीशचंद्र पिजा अशोक जायसवाल उम्र 29 वर्ष साकिन लवन थाना लवन जिला बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा अवैध रूप से नीले रंग की पिट्ठु बैग में 4.131 कि.ग्रा. मादक पदार्थ गांजा कीमती 60,000 रूपये करते पाये जाने पर मय मोटर सायकल बिना नंबर फैजर कीमती 80,000 रूपये को जप्त कर आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाकर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। तथा आरोपियो से 01 नग एक्टीवा , 01 नग मोटर सायकल को जप्त किया गया है।	
07--	**<u>अवैध रूप से मादक पदार्थ(गांजा) रखने वाले 04 आरोपी को गिर0 किया गया है</u>** थाना भाटापारा शहर के अप0 क्र0 299/2024 धारा 20 (बी) नारकोटिक्स एक्ट के प्रकरण में दिनांक 20.06.2024 को आरोपी 01.ओम ध्रुव उर्फ चीचा पिता अजय ध्रुव उम्र 19 वर्ष 02.बाबु यादव उर्फ चंद्रकांत पिता भरत यादव उम्र 17 वर्ष 03.शुभम साहू पिता घनश्याम साहू उम्र 19 वर्ष साकिनान कल्याण सागर वार्ड भाटापारा थाना भाटापारा शरि 04.राहुल साहू पिता तिलक राज साहू उम्र 19 वर्ष साकिन देवेन्द्र नगर चौक ऑफिसर कालोनी रायपुर द्वारा एक काला रंग की स्कुटी में बैठकर एक सफेद रंग के थैला में अवैध रूप से गांजा रखकर बिक्री करने हेतु ग्राहक तलाश रहा था जिसे मौके पर पकड़कर तलाशी लेने पर कुल 10.280 किग्रा. मादक पदार्थ गांजा कीमती 80,000 रूपये एवं एक नग चाकु व स्टील राड तथा एक नग वाकिटाकी रखे मिलने पर विधिवत कार्यवाही करते हुए आरोपियो के विरूद्ध अपराध धारा पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।	

08.	**अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर एवं नशेली टेबलेट बिक्री करने वाले 01 आरोपी को गिरफ्तार किया** :- थाना भाटापारा शहर के अपराध क्रमांक 439/24 धारा **8(ग), 21(ख) नारकोटिक्स एक्ट** के प्रकरण में दिनांक 12.09.2024 को भाटापारा के गोपाल गौशाला के पास अवैध रूप से ब्राउन शुगर, नशीली टेबलेट रख कर बिक्री हेतु ग्राहक तलाश करने वाले आरोपी भूपेन्द्र वर्मा पिता संतोष वर्मा उम्र 25 वर्ष साकिन काली मंदिर के पास ग्राम अर्जुनी थाना भाटापारा ग्रामीण को गिरफ्तार किया गया है जिनके कब्जे से ब्राउन शुगर कुल 1.85 ग्राम कीमती 27750 रूपये एवं 31 नग नेटराजेपाम टेबलेट कीमी 220 रूपये जुमला कीमती 27,970 रूपये तथा 01 मोटर सायकल प्लेटिना बिना नंबर व 01 नग मोबाईल वन प्लस कंपनी का कीमती 10,000 रूपये मिलने पर विधिवत कार्यवाही करते हुए जप्त कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।	
09-	**PITNDPS एक्ट 1988 के तहत प्रदेश में प्रथम निवारक निरोध** :- दिनांक 11.09.2024 को PITNDPS एक्ट के तहत 02 आरोपी 01 ज्वाला चतुर्वेदी पिता इंदरमन चतुर्वेदी उम्र 42 वर्ष साकिन भैंसापसरा बलौदाबाजार थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार एवं 02. एजाज खान पिता अहमद खान उम्र 23 वर्ष साकिन भवानी नगर सिमगा थाना सिमगा को आयुक्त रायपुर संभाग रायपुर द्वारा 03-03 माह जेल में निरूद्ध करने का आदेश पारित किया गया उक्त दोनो आरोपियो के विरूद्ध PITNDPS एक्ट के तहत पुलिस द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के आधार पर श्री महादेव कावरे आयुक्त रायपुर संभाग रायपुर द्वारा दोनो आरोपियों के खिलाफ 03 महिने का निवारक निरोध का आदेश पारित किया गया है। नशीले पदार्थ टेबलेट, नशीले इंजेक्शन आदि के तस्करी एवं ब्रिकी के अवैध व्यापार में शामिल **आरोपियो को PITNDPS एक्ट के तहत आयुक्त न्यायालय द्वारा निवारक निरोध आदेश प्रथम बार जारी किया गया।**	

10. आबकारी एक्ट :-

क्र.	वर्ष	प्रकरण	व्यक्ति	मात्रा (ली.)	कीमती (रूपये में)
01	2024	2005	2086	17030.534	77.76 लाख
02	2023	1801	1946	11873.00	22.54 लाख

01. **अवैध रूप से भारी मात्रा में शराब डंप करने वालं 03 आरोपी को गिरफ्तार किया गया**- थाना हथबंद के अपराध क्रमांक 193/24 धारा **34(2) आबकारी एक्ट** के प्रकरण में दिनांक 13.10.2024 को थाना हथबंद क्षेत्र में ग्राम केसदा में आरोपी द्वारा अपने फार्म हाउस में **532** पेटी अवैध शराब जिसमें अग्रेजी शराब के 504 पेटी तथा देशी मसाला शराब के 28 पेटी शामिल है जिसकी कुल कीमत 34,30,000 रूपये टम्प कर बिक्री हेतु रखा गया था प्रकरण में 03 आरोपियान 01.सूरज यदू उम्र 55 वर्ष केसदा थाना सिमगा 02. लम्मीनारायण यदू उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम केसदा थाना हथबंद 03.बरातू यादव उम्र 55 वर्ष साकिन ग्राम केसदा थाना हथबंद को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

02- **अवैध रूप से महुआ शराब बनाकर बिक्री करने वाले 02 आरोपी को गिर0 किया गया है** थाना पलारी के अप0 क्र0 299/2024 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के प्रकरण में दिनांक 29.06.2024 को ग्राम खैरी में अवैध रूप से महुआ शराब निर्माण करने व परिवहन करने की सूचना पर ग्राम खैरी में छापामार कार्यवाही किया गया जहां ग्राम खैरी के नाला किनारे में अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बनाते 02 आरोपी पंचराम उम्र 45 वर्ष एवं हीरा उम्र 29 वर्ष साकिनान ग्राम खैरी थाना पलारी को पकड़ा गया तथा मौके पर 320 बल्क लीटर कीमती 64,000 रूपये तथा गैस चुल्हा, गैस सिलेण्डर, एल्यूमिनियमका बर्तन को जप्त किया गया एवं महुआ शराब बनाने में प्रयुक्त 40 किलो महुआ पास(लहान) को मौके पर नष्ट किया गया। प्रकरण में गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

03.	**<u>अवैध रूप से शराब परिवहन करने वाले आरोपियो को गिर0 किया गया</u>** – थाना पलारी के अप0 क्र0 83 /2024 धारा 34(2) आब.एक्ट के प्रकरण में अवैध रूप से होंडा सिटी कोर में अवैध रूप से शराब तस्करी करने वाले 05 आरोपियांन 01.होरीलाल पिता कुलेश्वर यादव उम्र 21 वर्ष 02. गोपेन्द्र पिता नकुल यादव उम्र 34 वर्ष 03. जगदीश पिता संतोष यादव उम्र 22 वर्ष 04.चुडामणी साहू पिता चोवाराम साहू उम्र 26 वर्ष साकिनान ससहा थाना पलारी 05.नारायण साहू पिता मनोज साहू उम्र 27 वर्ष साकिन टीला थाना पलारी को गिरफ्तार कर आरोपियो से 1250 पाव देशी मशाला शराब कीमती 1,37,550 रूपये तथा एक होंडा सीटी कार एवं 02 नग मोटर सायकल को जप्त किया जाकर गिरफ्तार आरोपियो को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।	

11. नकली शराब :-

01.	**<u>नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का किया गया भांडाफोड़</u>** – थाना पलारी क्षेत्र के ग्राम संडी स्थित अपने घर में नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का भण्डाफोड़ करते हुए संलिप्त 01 आरोपी संदीप उम्र 28 वर्ष साकिन ग्राम संडी थाना पलारी को पकड़ा गया तथा आरोपी से 26,000 रूपये कीमती का 42.520 बल्क लीटर शराब एवं नकली शराब बनाने इस्तेमाल 04 लीटर स्प्रीट, कत्थ रंग काडाई 05 लीटर, पीले रंग का नकली लेबल 06 पत्ता, नांरगी रंग का नकली लेबल 150 नग, नकली होलोग्राम स्टीकर 04 पत्ता खाली शराक की शीशी 500 नग जुमला कीमती 26,840 रूपये को जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना थाना पलारी में दिनांक 09.08.2024 को अपराध क्रमांक 354/24 धारा 34(2), 36 आबकारी एक्ट पंजीबद्ध किया गया तथा आरोपियो को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।	

11. जाली नोट :-

01.	**<u>जाली नोट गिरोह का किया गया पर्दाफाश –</u>** थाना लवन के अपराध क्रमांक 519/2024 धारा 178,180,181,,3(5)बी.एन.एस प्रकरण में भुवन साहु उर्फ भूपेश एवं तुषाल साहू उर्फ सोनू को बडी मात्रा में नकली नोट लेकर आकर खपाने के इरादे से जिला सहकारी बैंक लवन के पीछे के खंडहर में होने की सूचना पर विधिवत् कार्यवाही करते हुए मुखबीर के बताये सूचना के आधार पर मौके का घेराबंदी कर 01.भुवन साहू उर्फ भूपेश पिता दिलीप साहू उर्फ 25 साल 02. तुषाल साहू उर्फ सोनू पिता दिलीप साहू उम्र 26 साल निवासी वार्ड नं. 07 लवन को पकड़कर जामा तलाशी लेने पर भुवन साहू के कब्जे से पेंट में रखे 500 के 04 नोट, 200 के 03 नोट 100 के 08 नोट कुल कीमती 3400 रूपये एवं आरोपी तुषाल साहू के पेंट के जेब से 500 के 02 नोट, 200 के 05 नोट, 100 रूपये 10 नोट कुल 3000 रूपये बरामद कर जप्त किया गया एवं उक्त दोनों आरोपियों के मेमोरण्डम कथन पर अपने साथी कुशल साहू निवासी लवन के साथ मिलकर नकली नोट छापने की योजना बनाकर एक रंगीन प्रिंटर मशीन एवं प्रिंटिंग पेपर का उपयोग कर 100,200,500 रूपये के नकली नोट छापना एवं तीनों नकली नोट को खपाने के लिए साथ में निकलना एवं संतोष शुक्ला निवासी विनायक नगर भाठागांव रायपुर के मकान को किराये में लेकर नकली नोट को रखना बताये जाने पर उक्त दोनों आरोपियों के निशानदेही पर नकली नोट छापने में प्रयुक्त प्रिंटिंग मशीन, कागज, व नकली नोट कुल 02,26,000 रूपये को जप्त कर बरामद किया गया। आरोपी कुशल साहू पिता पुनीराम उम्र 25 साल निवासी ठाकुर देव चौक लवन से कुल 5200 रूपये का नकली नोट जप्त कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया है।	

12. ऑनलाईन क्रिकेट सट्टा :-

01.	**<u>ऑनलाईन क्रिकेट सट्टे पर कार्यवाही</u>** – थाना भाटापारा शहर के अपराध क्रमांक 135/24 धारा छ.ग. जुआ प्रति. अधि.2022 की धारा 07में आईपीएल क्रिकेट सट्टा का संचालन करने वाले 03 आरोपी 01. सागर विाानी पिता नरेश कुमार उम्र 28 वर्ष साकिन तिल्दा नेवरा जिला रायपुर 02.निखिल ज्ञानचंदानी पिता अशोक उम्र 29 वर्ष साकिन श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड भाटापारा 03. मेहुल मंधानी पिता कमल मंधानी उम्र 18 वर्ष साकिन टेउपारा कालोनी मेहता नगर भाटापारा थाना भाटापारा शहर गिरफ्तार कर आरोपियो से 02 नग लेपटाप, 12 नग एण्ड्रायड मोबाईल,नगदी 1410 कुल 1,51,410 रूपये को जप्त कर आरोपियो को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।	

13. गुम मोबाईल :-

01.	**<u>गुम हुए मोबाईल को रिकवर कर मालिको के सुपुर्द किया गया</u>**-जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में गुम हुए मोबाईल को रिकवर हेतु विशेष टीम गठित कर विभिन्न कंपंनियों के कुल 156 नग मोबाईल कीमती 21,15,000 रूपये को रिकवर कर गुम हुए मोबाईल मालिकों को उनके सुपुर्द किया गया। पूर्व में भी 945 नग कीमती 01.40 करोड़ रूपये के मोबाईल रिकवर कर मोबाईल मालिको को सुपुर्द किया गया है। अब तक जिले में कुल 1095 नग मोबाईल कीमती लगभग 1,61,15000 रूपये से अधिक को रिकवर कर मोबाईल मालिको के सुपुर्द किया जा चुका है।	

14. शराब नष्टीकरण :-

01.	**<u>अवैध शराब के मामले में जप्त शराब का किया गया नष्टीकरण</u>** - जिले के अन्तर्गत थाना/चौकी में आबकारी एक्ट के प्रकरणों में दिनांक **26.05.2024** एवं **21.11.2024** को जप्त शराब के कुल **2735 प्रकरणों में कुल 41268.681 बल्क लीटर शराब** को नष्टीकरण हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में अनुविभागीय दण्डाधिकारी बलौदाबाजार, सहायक आबकारी अधिकारी बलौदाबाजार, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बलौदाबाजार, रक्षित निरीक्षक, बलौदाबाजार जिला बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा नष्टीकरण की कार्यवाही कराया गया है।	

15. गांजा नष्टीकरण :-

01.	**<u>अवैध गांजा तस्करी के मामले में जप्त गांजा का नष्टीकरण</u>** - जिले के अन्तर्गत थाना/चौकी में अवैध रूप से गांजा तस्करी के मामले में जप्त प्रकरणों में दिनांक 16.08.2023 एवं 16.09.2024 को **वर्ष 2023** में **14 प्रकरणों में कुल 42.179 किलो ग्राम मादक पदार्थ तथा 3715 नग नशीली टेबलेट एवं 2024 में 29 प्रकरणों में 1247.25 किलो ग्राम मादक पदार्थ गांजा एवं 960 नग नशीली टेबलेट का** नष्टीकरण की कार्यवाही श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक की उपस्थिति में कराया गया है।	

16. प्रतिबंधात्मक कार्यवाही:-

क्र.	अपराध शीर्ष	वर्ष 2024	वर्ष 2023	गतवर्ष की तुलना में कमी या वृद्धि
01	110 जा.फौ.	164	97	69.07 % वृद्धि
02	151 जा.फौ.	666	607	9.55 % वृद्धि
03	107,116(3) जा.फौ.	4191	4547	10.00 % कमी
04.	145 जा.फौ	21	3	16. 66 वृद्धि

17. वर्ष 2024 में दर्ज गुमशुदा बालक/बालिका के दस्तायाबी की जानकारी:-

क्र.	शीर्ष	कुल दर्ज गुम इंसान	दस्तायाब	दस्तयाबी का प्रतिशत
01	बालक	24	23	95.83 %
02	बालिका	194	138	71.13 %

➢ वर्ष 2022 में 23 बालक एवं 182 बालिका कुल 205 गुम बच्चों के प्रकरण दर्ज किया गया, जिसमें से 23 बालक एवं 116 बालिका कुल 139 बच्चों को दस्तयाब किया गया है। वर्ष 2022 में ही पूर्व वर्षों के गुम बच्चों में से 8 बालक एवं 132 बालिका कुल 140 बच्चों को दस्तायाब किया गया है। इस प्रकार वर्ष 2022 में कुल 31 बालक एवं 248 बालिका कुल 279 बच्चों को दस्तयाब किया गया है।

➢ वर्ष 2023 में 24 बालक एवं 212 बालिका कुल 236 गुम बच्चों के प्रकरण दर्ज किया गया, जिसमें से 19 बालक एवं 125 बालिका कुल 144 बच्चों को दस्तयाब किया गया है। वर्ष 2023 में ही पूर्व वर्षों के गुम बच्चों में से 1 बालक एवं 42 बालिका कुल 43 बच्चों को दस्तायाब किया गया है। इस प्रकार वर्ष 2023 में कुल 20 बालक एवं 167 बालिका कुल 187 बच्चों को दस्तयाब किया गया है।

➢ वर्ष 2024 में 24 बालक एवं 193 बालिका कुल 217 गुम बच्चों के प्रकरण दर्ज किया गया, जिसमें से 23 बालक एवं 138 बालिका कुल 161 बच्चों को दस्तयाब किया गया है। वर्ष 2024 में ही पूर्व वर्षों के गुम बच्चों में से 4 बालक एवं 103 बालिका कुल 107 बच्चों को दस्तायाब किया गया है। (जिसमें से वर्ष 2023 के 04 बालक एवं 68 बालिका है) इस प्रकार वर्ष 2024 में कुल 27 बालक एवं 241 बालिका कुल 268 बच्चों को दस्तयाब किया गया है।

➢ पुलिस मुख्यालय, नया रायपुर द्वारा दिये गये निर्देशानुसार विशेष अभियान ‘‘आपरेशन मुस्कान’’ चलाया गया, जिसमें अभियान के दौरान दिगर राज्यों से वर्ष 2022 में 37, वर्ष 2023 में 13 एवं वर्ष 2024 में 29 बच्चों को महाराष्ट्र, तेलगांना, कर्नाटक, गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, पंश्चिम बंगाल, आन्ध्रप्रदेश, चंडीगढ़ में टीम भेजकर दस्तायााब कराया गया है।

18. अपराधों में न्यायालय द्वारा वर्ष 2024 में दिये गये निर्णय -

- थाना सुहेला के अपराध क्रमांक 44/2022 धारा 376,307,342,201,34 भादवि एवं 04,06 पाक्सो एक्ट के मामले में आरोपी वेद प्रकाश वर्मा उम्र 21 वर्ष निवासी रवान थाना सुहेला को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया है।
- थाना कसडोल के अपराध क्रमांक 414/2020 धारा 302,201 भादवि में आरोपी रमेश पैकरा उम्र 41 वर्ष निवासी परसाभदेर थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार को अपने ससुर की हत्या करने के मामले में दोषी पाकर आजीवन कारावास एवं पृथक से अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
- थाना पलारी अपराध क्रमांक 148/2020 धारा 302,201,34 भादवि के प्रकरण में आरोपी रवि शंकर शुक्ला, दुर्गेश वर्मा एवं नेमीचंद ध्रुव निवासी गातापार थाना पलारी को दोषी पाकर आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

19. महिला/बाल अपराध एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के राहत प्रकरण की जानकारी-

वर्ष - 2024

क्र.	वर्ग	पंजीबद्ध प्रकरण	भेजे गये प्रकरण	स्वीकृत प्रकरण	स्वीकृत राशि	स्थानांतरण प्रकरण दीगर जिला	स्वीकृत प्रकरण	स्वीकृत राशि
01	महिला संबंधी अपराध	86	41	05	875000	-	-	-
02	बाल अपराध	113	63	06	97500	-	-	-
03	एससी/एसटी	28	27	18	3577500	-	-	-

20. यातायात व्यवस्था :-

यातायात नियमों के विभिन्न धाराओं का उल्लधंन करने वाले चालकों पर मोटरयान अधिनियम के तहत की गयी कार्यवाही

जिला बलौदाबाजार-भाटापारा					
स0क्र0	विवरण	2023		30 दिसम्बर, 2024	
		कुल प्रकरण	वसूल की गई समन शुल्क राशि	कुल प्रकरण	वसूल की गई समन शुल्क राशि
1	तेज गति से वाहन चलाना	44	99.20 हजार	349	3.32 लाख
2	रेड सिग्नल जंपिंग संकेत उल्लघंन	354	1.06 लाख	217	6350 हजार
3	पंजीकृत लादान क्षमता से अधिक भार लादान (माल/यात्री)	5	92.00 हजार	21	2.55 लाख
4	भार वाहक वाहनों में यात्री परिवहन	15	31.00 हजार	173	86500 हजार
5	मादक द्रव्य या शराब सेवन कर वाहन चलाना	92	7.69 लाख	940	87.57 लाख
6	वाहन चलाते समय मोबाईल का प्रयोग	18	18.90 हजार	16	16500 हजार
7	बिना हेलमेट	941	4.90 लाख	1882	9.42 लाख
8	बिना सीटबेल्ट	736	4.51 लाख	638	3.24 लाख
9	जल्दबाजी /लापरवाही पूर्वक वाहन चालान	58	1.53 लाख	192	3.840 लाख
10	Lack of vehicular Fitness	0	0	1	1000 हजार
11	प्रतिबंधित क्षेत्र में वाहन प्रवेश पर कार्यवाही (नो एंट्री)	40	82.50 हजार	19	32800 हजार
12	उंचा /लंबा लोड	1	500	0	0
13	रंगीन फिल्म, कांच एवं परदे लगे वाहन	1	2.00 हजार	2	4000 हजार
14	बिना लायसेन्स	90	1.38 लाख	111	1.15 लाख
15	नाबालिक वाहन चालक	26	1.08 लाख	77	1.54 लाख
16	राष्ट्रीय एवं राजकीय मार्ग पर अवैधानिक पार्किंग	1529	4.63 हजार	2072	6.22 लाख
18	गलत दिशा में वाहन चलाना	0	0	75	22500 हजार
19	दो पहिया में तीन सवारी	4503	13.64 लाख	7707	20.84 लाख
20	अन्य	6725	22.34 लाख	11113	35.58 लाख
योग		**15178**	**66.06 लाख**	**25605**	**177.57 लाख**

नए प्रयोग :-

•ब्रेथ एनालाईजरों का प्रयोगः- इकाई में ब्रेथ एनालाईजर का प्रयोग करते हुए 929 प्रकरणों में शराब का सेवन कर वाहन चलाने वाले 929 वाहन चालकों से 87.57 लाख रूपये अर्थदण्ड वसूले गये है।

•नए ब्लैक स्पॉट का निर्धारण – वर्ष 2022, 2023 एवं 2024 में घटित सड़क दुर्घटनाओं की समीक्षा कर नये ब्लैक स्पॉट्स का निर्धारण किया जा रहा है।

•दुर्घटना जन्य स्पॉट का निरंतर निरीक्षण – जिले में संचालित हाईवे पेट्रोलिंग के माध्यम से लगातार दुर्घटना जन्य क्षेत्रों का निरीक्षण किया जाकर निगरानी रखी जा रही है।

•स्कूलों में एक साथ यातायात शिक्षा – इकाई में विशेष अभियान के तहत थाना/यातायात पुलिस के माध्यम से एक साथ कुल 204 स्कूलों में छात्र-छात्राओ एवं शिक्षकों को यातायात शिक्षा प्रदान किया गया।

•ट्रैक्टरों में रेडियम रिफ्लेक्टर का कैम्प लगाना – जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा यातायात जागरूकता अभियान कार्यक्रम के दौरान ग्राम लाहोद, वटगन सुमा एवं खण्डवा, सिमगा व सभी धान खरीदी केन्द्रो में जाकर कुल 755 ट्रैक्टर में रेडियम पट्‌टी लगाने व टैक्टर चालकों को यातायात सुरक्षा संबंधी नियमों का विस्तृत जानकारी दी गई है।

•हिट एण्ड रन केस में 100 प्रतिशत निराकरण- इकाई में घटित हिट एण्ड रन के प्रकरणों में पीड़ितों को मुआवजा राशि दिलाये जाने हेतु प्रत्येक थानों से एक-एक सहायक उप निरीक्षक स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति कर शत प्रतिशत दावा प्रकरण क्षेत्राधिकार रखने वाले तहसील कार्यालय में प्रेषित की जा रही है।

पुलिस की सफलताः-

2. **हिट एण्ड रन के केश में 184 प्रकरण में मुआवजा हेतु भेजे गये है, 14 प्रकरण में 1375000 मुआवजा मिला है।**
3. **इंटरसेप्टर वाहन में 1148 प्रकरण में 7031400 रूपये समन शुल्क जमा किया गया है जो सर्वाधिक है।**

इंटरसेप्टर वाहन से कार्यवाही की जानकारी जिला बलौदाबाजार-भाटापारा छ0ग0				
क्र.	**प्रकार**	**धारा**	**प्रकरण**	**शुल्क**
1	वाहन की तीव्रता (तेजगति)	112/183(1) एमव्हीएक्ट	303	3.02 लाख
2	कांच की पारदर्शिता मापन से कार्यवाही	100 एमव्हीएक्ट	2	4000 हजार
3	ब्रीथएनालाईजर में कार्यवाही	185 एमव्हीएक्ट	685	63.85 लाख
4	ध्वनि विस्तारक मापक यंत्र (साउण्ड लेबल)	182 (क)4 एमव्हीएक्ट	8	40000 हजार
5	अन्य कार्यवाही की जानकारी	184 एमव्हीएक्ट	150	3.00 लाख
योग			**1148**	**70.31 लाख**

21. “ विश्वास कार्यक्रम ” की जानकारी :-

- अभिव्यक्ति कार्यक्रम के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जाकर।
- बाल सुरक्षा सप्ताह के माध्यम से।
- सायबर सेल द्वारा विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों एवं गांव में जाकर जागरूकता के माध्यम से अपराधों की रोकथाम हेतु प्रयास
- महिला एवं बच्चों के विरूद्ध दर्ज अपराधों में तत्काल विवेचना कर सांइटिफिक तरीके से अनुसंधान किया जा रहा है।
- शहर के विभिन्न चौक चराहों महत्वपूर्ण स्थानों पर सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाकर महिला एवं बच्चों के विरूद्ध अपराधों की रोकथाम किया जा रहा है।
- महिला पुलिस अधिकारी/कर्मचारी पेट्रोलिंग के माध्यम से।
- महिलाओं एवं बच्चो के विरूद्ध अपराधों की रोकथाम हेतु ईकाई के थाना चौकी प्रभारियो को निर्देशित किया गया है कि दौरान ग्राम भ्रमण के स्कूल/कालेजों में जाकर समय-समय पर पाक्सो एक्ट मोटर व्हीगल एक्ट,गुड टच,बेडटच आदि की जानकारी प्रदाय किये जा रहे है।

सायबर वालिंटियर्स का रजिस्ट्रेशन एवं उनके माध्यम से सायबर जागरूकता कार्यक्रम का लगातार आयोजन

<table>
<tr><th>क्र.</th><th>जानकारी</th><th>फोटोग्राफ्स</th></tr>
<tr><td>01</td><td>जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा सायबर अपराध की रोकथाम एवं सायबर जागरूकता बढ़ाने के लिए साइबर वालेंटियर की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान विगत दिनों साइबर पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर बनाए गए वालिंटियर का एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित किया गया।जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा साइबर व,लिंटियर्स की सहायता से साइबर अपराधों की रोकथाम एवं साइबर अपराध के संबंध में जानकारी देने हेतु लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, इसके तहत स्कूल, क,लेज, विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं में सायबर व,लिंटियर्स द्वारा साइबर अपराधों से बचने, साइबर अपराधियों के ठगी करने के तरीकों की पहचान आदि के संबंध में जानकारी दिया जा रहा है। जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा साइबर पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर अब तक 106 की संख्या में साइबर व,लिंटियर्स बनाए गए हैं, जिसकी सहायता से लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जागरूकता अभियान में साइबर वालिंटियर्स द्वारा साइबर अपराध से बचने, लोक लुभावने स्कीम मैसेज पर ध्यान नहीं देने, किसी भी अनजान लिंक अथवा वीडियो क,ल आदि को रिसीव नहीं करने, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करने के सांथ-सांथ वर्तमान परि–श्य में बढते सायबर अपराध के विभिन्न तरीकों जैसे क्रेडिट कार्ड फ्राड, बैंकिंग फ्राड, इनवेस्टमेंट फ्राड, क्रिप्टो करेंसी फ्राड, आईडेंटिटी फैक्ट, फेक प्रोफाईल, सोशल मिडिया फ्राड, ईमेल फ्राड, वेबसाईट क्लोनिंग, फोन फ्राड के आदि के संबंध में जानकारी दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त साइबर व,लिंटियर्स द्वारा छात्रोंए आम जनों से सीधा एवं सतत् संवाद कर साइबर अपराध के संबंध में जानकारी देकर उन्हें सतर्क किया जा रहा है।</td><td>

</td></tr>
<tr><td></td><td>जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा अपरेशन विश्वास के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर आमजनों एवं ट्रैक्टर चालकों को यातायात सुरक्षा संबंधी नियमों का विस्तृत जानकारी दिया जा रहा है। वर्तमान समय में बढ़ते सड़क दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुएए सड़क दुर्घटनों में कमी लाने के लिए जिला बलौदा बाजार पुलिस द्वारा यातायात जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित लोगो कोयातायात नियमों का जानकारी देते हुए ट्रेक्टरों में रिफ्लेक्टर पट्टी भी लगाया जा रहा है। सांथ ही नेत्र शिविर का भी आयोजन कर वाहन चालकों का नेत्र परीक्षण कराया गया जा जा रहा है। अब तक दिनांक 05.10.2024 को ग्राम लाहोद में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर 300 ट्रैक्टरों में रिफलेक्टर लगाया गया है। दिनांक 22.10.2024 को ग्राम सुमा में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर 83 ट्रैक्टरों में तथा दिनांक 27.10.2025 को खण्डुवा सिमगा में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर 150 से अधिक ट्रैक्टरों में रिफलेक्टर लगाया गया है।</td><td>

</td></tr>
</table>

धन्यवाद!